समाहरणालय, खगड़िया

बिहार सरकार

ई-मेल :-dm-khagaria.bih@nic.in, generalsectionkhagaria@gmail.com
वेबसाईट :- https://khagria.nic.in
दूरभाष :- 06244-222135

(जिला शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3171/सी0आर, दिनांक 01.07.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मानसी थाना काण्ड सं0–46/20, दिनांक 09.02.2020 के अभियुक्त सुजीत कुमार पे0–वृजनन्दन प्रसाद यादव के विरूद्ध उक्त काण्ड में अपने पिता के नाम से निर्गत लाईसेंसी रायफल नं0–ए0बी0–96–4658 का उपयोग किये जाने का मामला अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में सत्य पाये जाने के उपरान्त वृजनन्दन प्रसाद यादव, पे0–स्व0 भूमि प्रसाद यादव, साकिन–ठाठा, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–02/1996 (चौथम थाना) को रद्द करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः पुलिस अधीक्षक खगड़िया के अनुशंसा के आलोक में वृजनन्दन प्रसाद यादव, पे0–स्व0 भूमि प्रसाद यादव, साकिन–ठाठा, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–02/1996 (चौथम थाना) को आयुध अधिनियम 2016 की धारा 47 (1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है एवं थानाध्यक्ष मानसी थाना को आदेश दिया जाता है कि उक्त शस्त्र को थाने के मालखाना में जमा रखेंगे एवं अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित से मूल अनुज्ञप्ति पुस्तिका प्राप्त कर इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त प्रभारी शस्त्र दण्डाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया

ज्ञापांक IV-09/2020....516..../जी0, दिनांक 22.08.2020/

प्रतिलिपि :– थानाध्यक्ष, मानसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को उनके पत्रांक 3171/सी0आर0, दिनांक 01.07.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, खगड़िया को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

20/8/20

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया